खंड 1 संख्या 140

राष्ट्र महिला

मार्च 2011

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

8 मार्च का दिन विश्वभर में महिला संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी महाद्वीपों की महिलाएं - भले ही उन्हें राष्ट्रीय सीमाएं तथा जातीय, भाषायी, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विभिन्नताएं अलग करती हों - इस दिन एकता प्रदर्शन समारोह में एकजुट हो जाती हैं। वे विगत की उस लम्बी परम्परा पर दृष्टि डालती हैं जो उनकी समानता, न्याय, शान्ति तथा विकास के संघर्ष का प्रतीक है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सामान्य महिलाओं द्वारा इतिहास रचे जाने की कहानी है। सदियों से समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्थान प्राप्त कराने के प्रयासों में इसकी बुनियाद है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विचार उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में प्रखर हुआ जब औद्योगीकरण के विस्तार के साथ कोलाहलमय वातावरण बन रहा था, जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही थी तथा क्रान्तिकारी विचारधाराएं पनप रही थीं।

उन प्रारंभिक दिनों से अब तक, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ने विकसित एवं विकासशील देशों में समान रूप से महिलाओं के लिए एक नया विश्वव्यापी आयाम प्राप्त कर लिया है। बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला आंदोलन ने, जो संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा विश्वपर्यन्त आयोजित महिला सम्मेलनों से और भी सुदृढ़ हुआ है, इस दिवस को महिलाओं के अधिकारों तथा आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी की मांगों को मनवाने के समन्वित प्रयत्न का केन्द्र-बिन्दु बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस लगातार इस बात पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है कि इस दिशा में क्या प्रगति हुई है और किन परिवर्तनों का आह्वान किया जाये। जिन साधारण महिलाओं ने महिला अधिकारों के इतिहास में असाधारण भूमिका अदा की है, उनके साहस एवं दृढ़ संकल्प के कृत्यों को इस दिन याद किया जाता है।

गत पचास वर्षों के दौरान, महिला आन्दोलन ने सही अर्थों में एक विश्वव्यापी आयाम हासिल कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा का विशेष अधिवेशन "बीजिंग प्लस फाइव" दर्शाता है कि यद्यपि हम 1995 के बीजिंग सम्मेलन में की गई सिफारिशों को कुछ क्षेत्रों में लागू करने की दिशा में अग्रसर हुए हैं, फिर भी अभी कुछ ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर आगे बढ़ने के लिए हमें गंभीर प्रयास करने हैं। परन्तु बीजिंग में विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा दिए गये वचन

चर्चा में **अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस**

स्पष्ट संकेत देते हैं कि अब यह महसूस किया जाने लगा है कि विश्व की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं के समाधान के किसी भी प्रयास में महिला समानता का मुद्दा एक प्रमुख बिन्दु होना चाहिए। एक समय वह था जब लिंग समानता के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा पर लाने के लिए महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा था, परन्तु अब लिंग समानता उस एजेंडा का स्वरूप निर्धारित करने का एक प्रमुख कारक बन गया है।

अनेक देशों ने अपने संविधान में अथवा कानूनी सुधारों में ऐसे उपबंध शामिल कर लिए हैं जिनमें पुरुष-महिला का भेदभाव किए बिना मानवाधिकारों के उपभोग की गारंटी दी गयी है, पक्षपाती उपबंधों को हटा दिया गया है और महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने तथा उक्त अधिकारों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने वाले कानूनी, शैक्षिक तथा अन्य प्रावधानों का समावेश किया गया है।

फिर भी, बहुत कुछ किया जाना शेष है। आजादी के 63 वर्षों बाद, असाधारण मात्रा में कानूनों की मौजूदगी के बावजूद, भारत में महिलाएं अब भी अपने आप को बेड़ियों में जकड़ा हुआ पाती हैं। सर्वोपरि है वैश्वीकरण, उदारीकरण, आर्थिक पुर्नरचना तथा निजीकरण का उनपर विपरीत प्रभाव। महिलाओं में, विशेषकर वयप्राप्त तथा परिवारों की मुखिया महिलाओं में, गरीबी बढ़ी है। बेरोजगारी और अल्परोजगारी में उनका अनुपात बहुत अधिक है। बाल-विवाह, घरेलू हिंसा, दहेज की मांग, नारी भ्रूण हत्या, बलात्कार और अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा का खामियाजा उन्हें अब भी अपने जीवन का मूल्य देकर चुकाना पड़ता है।

महिलाएं आज भी अपने आप को हर जगह शोषण-प्राय पाती हैं - कार्यस्थल पर; स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार जैसी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के मामलों में; यहां तक कि स्वयं अपने घरों में।

इसलिए, महिलाओं की दशा सुधारने के लिए हमें अधिक संख्या में लड़कियों को स्कूल भेजना होगा और केवल साक्षर बनाने के बजाय उन्हें अच्छी शिक्षा देनी होगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हमें महिलाओं के लिए सुलभ बनाना होगा ताकि चिकित्सा सुविधा की अनुपलब्धता के कारण ग्रामीण इलाकों में प्रसव के समय प्रति वर्ष सहस्रों महिलाएं मृत्यु का शिकार न बनें। सबसे महत्वपूर्ण बात है सम्पत्ति संबंधी कानूनों में सुधार लाना ताकि लिंग समानता वास्तविक स्वरूप ले सके। जबकि ये परिवर्तन आवश्यक हैं, ये तब तक बेमानी रहेंगे जब तक कि हम एक समाज के नाते अपनी महिलाओं को प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता तथा अवसरों के उनके अधिकार उन्हें उपलब्ध नहीं कराते। जब महिलाएं समृद्ध होती हैं तो समस्त समाज लाभान्वित होता है और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर जीवन प्रारंभ करने का अधार मिल जाता है।

गैर निवासी भारतीयों के विवाहों संबंधी मुद्दे

गैर निवासी भारतीय पुरुषों की धोखेबाजी से उनके साथ हुए विवाहों में फंसी भारतीय महिलाओं की बढ़ती हुई समस्याओं पर विचार करने के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने समुद्रपार भारतीय सरोकार मंत्रालय के सहयोग में नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया।

उनकी अनेक समस्याएं हैं जैसे परित्याग, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, पूर्व विवाह के चलते भी यह बात छिपाना, सामाजिक सुरक्षा की कमी, एक-तरफा तलाक, भारत में भारतीय कानूनों के अनुसार हुए विवाह के बावजूद विदेशी न्यायालयों द्वारा आसानी से विवाह-विच्छेद की अनुमति, इत्यादि।

इसलिए, प्रख्यात भागीदारों ने जोरदार शब्दों में सुझाव दिया कि वैवाहिक मनमुटाव, भरण-पोषण, सम्पत्ति के निपटान और बच्चों की हिरासत की समस्याओं के समाधान के लिए

सेमिनार में डॉ. गिरिजा व्यास, सदस्या यास्मीन अब्रार, सदस्या वानसुक सयीम

सेमिनार में डॉ. मोहिनी गिरी, श्रीमती कृष्णा तीरथ और डॉ. गिरिजा व्यास

एक अलग कानून बनाया जाये ताकि गैर निवासी भारतीयों एवं भारतीय नागरिकों के बीच चलने वाले मुकदमों के बारे में निर्णय देने वाले विदेशी न्यायालयों के लिए यह नया कानून एक विस्तृत सुलभ-संदर्भिका का कार्य कर सके।

विद्यमान कानूनों की अपर्याप्तता पर प्रकाश डालते हुए, विशेषज्ञों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आचार तथा न्यायसीमा के मुद्दों के हल के लिए कुछ प्रावधान आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण होना चाहिए और भारत स्थित विदेशी दूतावासों को परित्यक्त महिलाओं को जल्द वीज़ा जारी करने की प्रक्रिया सरल बनानी चाहिए ताकि वे अपने गैर निवासी पतियों द्वारा विदेश में दर्ज कराये गये मामलों का प्रतिकार कर सकें। सेमिनार में हुई चर्चा के दौरान उठाए गये अन्य बिन्दु थे : जब कोई गैर निवासी भारतीय अपनी पत्नी के वीज़ा प्रवर्तन को रद्द करना चाहे तो इसकी प्रामाणिकता या सहमति की जांच की प्रक्रिया; भारत में भारतीय कानून के अनुसार सम्पन्न विवाहों को विदेशी न्यायालयों द्वारा निरस्त किए जाने पर रोक लगाना; महिला के देश-निष्कासन की अनुमति न देना ताकि वह अपना मामला लड़ सकें।

इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि विदेशों में भारतीय पतियों द्वारा अपनी पत्नियों का परित्याग करने संबंधी शिकायतों को प्राप्त करने और उन पर विचार करने के लिए आयोग ने वर्ष 2009 में एक कक्ष स्थापित किया था। इस कक्ष में अब तक 515 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें 68 दिल्ली की, 42 उत्तर प्रदेश की, 36 हरियाणा की, 27-27 पंजाब और महाराष्ट्र की, 25 गुजरात की, 24 आन्ध्र प्रदेश की और

सेमिनार में सदस्य-सचिव सुश्री ज़ोहरा चटर्जी, श्री दीदार सिंह और डॉ. गिरिजा व्यास

13-13 पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु की हैं। शेष अन्य राज्यों की हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती कृष्णा तीरथ ने अपने भाषण में कहा कि गैर निवासी भारतीयों के साथ विवाहों के खतरों के प्रति जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है और सुझाव दिया कि गैर निवासी भारतीयों के विवादित विवाहों की समस्या के निदान के लिए विदेशों के भारतीय दूतावासों में विशेष कक्ष स्थापित किए जाने चाहिए।

एडवोकेट रंजीत मल्होत्रा ने सुझाव दिया कि जो पति/पत्नी विदेशों में बस गये हैं, वहां के भारत स्थित दूतावासों पर यह जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वे अपने यहां बसे ऐसे पथभ्रष्ट भारतीयों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करें।

भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा समुद्रपार भारतीय सरोकार मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से परामर्श कर एक औपचारिक व्यवहार-पत्र तैयार किया जा सकता है जिसके अंतर्गत विदेशी दूतावासों को परित्यक्त दुल्हनों को दूतावासी सहायता प्रदान किए जाने के निदेश दिए जायें।

विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री बसंत गुप्ता ने इस मुद्दे की संवेदनशीलता की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सुझाव दिया कि दोनों पक्षों के बीच समझौते का प्रयत्न किया जाये और विवाह से पहले दोनों पक्ष एक शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करें कि भारत में सम्पन्न विवाह भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आयेंगे।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री डी.के. सीकरी ने कहा कि गैर निवासी भारतीयों के विवाहों का मुद्दा 12वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जा सकता है।

चर्चा से निकले विभिन्न सुझाव इस प्रकार हैं :-

(1) किसी गैर निवासी भारतीय अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति के साथ विवाह कर विदेश जा रही लड़की को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर प्रस्थान-पूर्व मंत्रणा दी जाये; (2) विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों जैसे पुलिस, न्यायपालिका आदि के लिए तैयार किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की तरह, गैर निवासी भारतीय विवाहों की समस्याओं को उजागर करने वाला पाठ्यक्रम तैयार किया जाये; (3) इस मुद्दे से निपटने के लिए एक अंतर-मंत्रालय समिति स्थापित की जाये; (4) विवाहों के पंजीकरण कार्यालयों में दुल्हनों को मंत्रणा दी जा सकती है; (5) सूचना मंत्रालय के पास गैर निवासी भारतीयों के भारतीय लड़कियों के साथ हुए विवाहों की सूचना होनी चाहिए; (6) विवाह कर विदेश जाने वाली लड़कियों की सूचना वहां के भारतीय दूतावास के पास होनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन लड़कियों को तुरंत सहायता दी जा सके; (7) गैर निवासी भारतीयों के विवाहों का पंजीकरण विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत किया जाना चाहिए; (8) गैर निवासी भारतीयों के विवाह संबंधी मामलों को देखने के लिए विशेष पुलिस दल बनाए जाने चाहिए और पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रम में गैर निवासी भारतीयों के विवाहों संबंधी मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए; (9) प्रक्रिया संबंधी विलम्ब को कम करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों की एकल खिड़की व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए; (10) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मीडिया अभियान चलाया जाये; (11) सूचना मंत्रालय की कानूनी एवं वित्तीय सहायता योजना के बारे में प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिये जागरूकता पेदा करना।

सदस्य-सचिव का न्यूयॉर्क का दौरा

महिलाओं की स्थिति संबंधी आयोग के 55वें सत्र में शामिल होने वाले भारतीय शिष्ट-मंडल के सदस्य के रूप में आयोग की सदस्य-सचिव सुश्री ज़ोहरा चटर्जी न्यूयॉर्क गयीं।

इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "संयुक्त राष्ट्र महिला के सृजन के बाद आयोजित पहला सत्र होने के नाते यह एक ऐतिहासिक सत्र है। महिलाओं के उत्थान की दिशा में कार्य कर रहे विभिन्न संयुक्त राष्ट्र संगठनों को संसाधनों सहित मिलाकर 'संयुक्त राष्ट्र महिला' का सृजन इस बात का स्पष्ट संकेत है कि महिलाओं की प्रगति के लिए अधिक व्यापक और केन्द्रित प्रणाली अपनाई जायेगी और पर्याप्त साधन जुटाए जायेंगे। भारत इस रणनीति का स्वागत और समर्थन करता है।"

भारतीय महिलाओं के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी दकियानूसी मानसिकता और स्थिर धारणाएं लगातार बदल रही हैं; वे अनेक महत्वपूर्ण पदों पर हैं, जैसे भारत की राष्ट्रपति, लोक सभा की अध्यक्ष, संसद के अवर सदन में विरोधी दल की नेता आदि। भारतीय महिला उद्यमी भारत के बैंकों तथा अन्य कंपनियों में सर्वोच्च कार्यकारी पदों पर तैनात हैं और विश्व के दूसरे भागों में भी वे उच्च पदों पर कार्य कर रही हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में इस बात के सतत् प्रयास किए गये हैं कि लड़कियां स्कूल छोड़ें नहीं तथा प्रशिक्षण के जरिये उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जायें। सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का लक्ष्य है कि महिलाओं के लिए अच्छी कोटि की स्वास्थ्य व्यवस्था, जिसमें संस्थागत शिशुजन्म भी शामिल है, प्रदान की जाये।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, सरकार उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयोजन से और उनके संरक्षण के लिए कानूनों में संशोधन करके उन्हें न्याय तथा समानता दिलाने की ओर अग्रसर कर रही है। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए, सरकार ने स्थानीय निकायों में उनके लिए एक-तिहाई स्थान आरक्षित किए हैं ताकि वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बन सकें।

अपने भाषण को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, "सोलह वर्ष पूर्व, बीजिंग घोषणा में निहित उच्चाकांक्षाएं उ-तुंग और दूरस्थ प्रतीत होती थीं, किन्तु मिलकर हम बहुत आगे बढ़े हैं। हम टिकाऊ विकास, गरीबी उन्मूलन और सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सतत् प्रयास करते रहेंगे।"

सहमति की आयु के मुद्दे पर क्षेत्रीय परामर्श

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सहमति की आयु के मुद्दे पर प्रायोजित क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन पश्चिम बंगाल महिला आयोग ने किया। परामर्श का उद्घाटन करते हुए न्यायमूर्ति रूमा पाल ने कहा कि बाल विवाह लड़की के साथ होने वाले सबसे बुरे दुर्व्यवहारों में से एक है। उच्चतम न्यायालय की एडवोकेट सुश्री कीर्ति सिंह ने कहा कि बाल विवाह का बुरा प्रभाव लड़कों और लड़कियों दोनों पर पड़ता है, किन्तु बाल विवाह के परिणामस्वरूप लड़कियां सभी प्रकार के कदाचारों के प्रति कहीं अधिक शोषण प्राय हो जाती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या सुश्री वानसुक सयीम ने शिक्षा की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे बच्चों में सही चुनाव करने की योग्यता आती है।

परामर्श में (बायें से) झारखंड महिला आयोग की अध्यक्षा हेमलता एस. मोहन, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या सुश्री वानसुक सयीम, पश्चिम बंगाल महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. मालिनी भट्टाचार्य, सुश्री जसोधरा बागची, न्यायमूर्ति रूमा पाल

समापन सत्र में पश्चिम बंगाल महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. मालिनी भट्टाचार्य ने दिन भर की चर्चा का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि जहां तक विधि आयोग की सिफारिशों का प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 से वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को हटाने पर सहमति हो गयी है। इसी प्रकार, इस सिफारिश पर भी कोई असहमति नहीं थी कि, किसी भी सम्प्रदाय के अपवाद के बिना, सभी विवाहों का पंजीकरण एक निर्धारित अवधि के भीतर अनिवार्य कर देना चाहिए। 16 वर्ष से कम आयु के विवाहों के स्वतः ही निरस्त हो जाने के मुद्दे पर, जिसके बारे में कुछ मतभेद था, डॉ. भट्टाचार्य ने कहा कि विधि आयोग ने इस पहलू पर काफी विचार किया है कि यदि किसी लड़की का विवाह स्वतः निरस्त हो जाये तो उसको पर्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। एक अन्य सिफारिश जिस पर कुछ वाद-विवाद हुआ यह थी कि लड़के और लड़की दोनों की न्यूनतम विवाह आयु 18 वर्ष कर दी जाये। उन्होंने कहा कि उनकी राय में आयु की समानता को महज इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि निर्भरता के कारण विवाह के समय पत्नी कमाने लायक नहीं होती। तथ्य तो यह है कि लड़की हो या लड़का, 18 वर्ष की आयु में उससे आत्म-निर्भर बनने की आशा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि कानून का प्रायोजन किसी बुराई को समाप्त करना नहीं अपितु न्यायोचित सिद्धांतों के अनुसार सामाजिक व्यवहार के मानदंड स्थापित करना है। उन्होंने सभी भागीदारों को विश्वास दिलाया कि उनकी प्रतिक्रियाएं दर्ज की जायेंगी और राष्ट्रीय महिला आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेज दी जायेंगी।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट :
www.ncw.nic.in

महिला सांसदों का महिला-संबंधित विधेयकों को शीघ्रता से पारित करने पर ज़ोर

सभी दलों की महिला सांसदों ने निर्णय लिया है कि वे दोनों सदनों में इस बात पर दबाव बनायेंगी कि महिलाओं के मुद्दों से संबंधित लंबित विधेयकों को जल्द पारित किया जाये।

इस प्रस्ताव पर महिला सांसदों की एक बैठक में सहमति बनी जोकि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने बुलाई थी। बैठक में 22 महिला सांसदों ने भाग लिया।

डॉ. व्यास ने कहा कि महिला सांसद, भले ही वे किसी भी दल की हों, इस मुद्दे पर संसद में एकजुट होकर अनेक ऐसे विधेयकों को पारित कराने के लिए दबाव डाल सकती हैं।

महिला सांसदों के साथ डॉ. गिरिजा व्यास और सुश्री ब्रिन्दा करात

इन लंबित विधेयकों तथा विधेयकों के मसौदों में शामिल हैं - कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, बलात्कार पीड़ितों को राहत तथा उनका पुनर्वास, महिलाओं का अशोभनीय प्रदर्शन विधेयक, तेज़ाब से किए गये आक्रमण के संबंध में भारतीय दंड संहिता में एक अलग धारा 326ख का जोड़ा जाना, चुपचाप पीछा करने को एक अपराध बनाना आदि।

सी.पी.एम. सांसद सुश्री ब्रिन्दा करात ने इस पहल को बहुत सार्थक बताते हुए कहा कि विभिन्न दलों के सांसद इस विचार के प्रति "खुला मस्तिष्क" रखते हैं।

उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि ऐसे दो ग्रुप बनाये जायें - लोक सभा में डॉ व्यास के नेतृत्व में और राज्य सभा में सुश्री प्रभा ठाकुर के नेतृत्व में।

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।